अनुपालन नियंत्रण (कोंपलायन्स मॉनिटरिंग)

सर्वग्राही केस रिपोर्ट (ओम्निबस केस रिपोर्ट) : तीसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष -२०२६

टाटा टी-01 और-02 / भारत: परियोजना-स्तरीय कार्यवाहियाँ

केस सारांश: -

अमलगमेटेड प्लांटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। आईएफसी का यह ग्राहक असम और पश्चिम बंगाल में चाय के कुल मिलाकर २५ बागानों का संचालन करता है, जिनमें २८,००० से अधिक स्थायी और २३,००० से अधिक अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं, और कुल मिलाकर १५५,००० लोग इस बागानों में रहते है। २००६ में, आईएफसी ने कर्मचारी-स्वामित्व वाले बागान मॉडल को लागू करने के लिए एपीपीएल में ७.८ मिलियन अमेरिकी डॉलर (१९.९%) के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। आईएफसी के निवेश के साथ-साथ प्रबंधन और श्रमिकों द्वारा शेयरों की खरीद से एपीपीएल के तत्कालीन मालिक, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को अपनी शेयरधारिता का आंशिक विनिवेश करने का भी प्रावधान किया गया।

मई २०१२ में, सीएओ के उपाध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रमिक संघ (इंटरनेशनल फूड श्रमिक यूनियन–आईयूएफ) की ओर से आईएफसी को मिली शिकायत के बाद अनुपालन प्रक्रिया (टाटा टी-01) शुरू की। इस शिकायत में आईयूएफ ने आरोप लगाया था कि २००९/१० में दो बागानों में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं थीं जिनके कारण एपीपीएल का, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। फरवरी २०१३ में, सीएओ ने हैटिगोर, माजुली और नाहारोनी स्थित एपीएल एस्टेट्स में चाय बागान के श्रमिकों की ओर से तीन गैर-सरकारी संगठनों की शिकायत के आधार पर दूसरा मामला (टाटा टी–02) दर्ज किया। यह शिकायत हत्तीगोर, माजुली और नाहारोनी स्थित एपीपीएल के बागानों में काम करने वाले चाय के बागान मेन काम करनेवाले कर्मचारियों की ओर से की गई थी। इस शिकायत में कर्मचारियों की कार्यस्थल परिस्थितियाँ और काम करने के माहौल के साथ-साथ 'कर्मचारी शेयर-खरीद कार्यक्रम' (worker share-purchase program) को लेकर भी चिंताएँ जताई गई थीं।

सीएओ की सितंबर २०१६ की एक संयुक्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि आईएफसी के निवेश के पूर्व ई&एस समीक्षा, चाय बागान के मज़दूरों की कमज़ोर स्थिति और उन्हें बुनियादी सुविधाएँ देने की क्लाइंट की ज़िम्मेदारी को देखते हुए, जोखिम के हिसाब से वह सही नहीं थी। इस समीक्षा में कमियों के कारण, प्रोजेक्ट में समाविष्ट जोखिम कम करने के जो उपाय किए गए, वे पूरी तरह से विस्तृत नहीं थे और उनमें जोखिम वाले मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया था। सीएओ ने यह भी पाया कि प्रोजेक्ट की निगरानी के दौरान, आईएफसी ने इस बात पर पूर्ण भरोसा नहीं किया कि क्लाइंट 'प्रदर्शन मानकों' (Performance

Standards) का पालन कर रहा है या नहीं। सीएओ की जाँच रिपोर्ट में, चाय बागान में रहने और काम करने की स्थितियों के आईएफसी द्वारा किए गए आकलन, जांच और निगरानी, प्रतिबंधित कीटनाशकों के कथित इस्तेमाल, जानकारी सार्वजनिक करने, सलाह-मशवरा करने और सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के मामलों में, नियमों का पालन न होने से जुड़ी खास बातें सामने आईं।

अपने 'प्रबंधन की प्रतिक्रिया' (Management Response) में, आईएफसी ने अपने काम में कमियों को स्वीकार किया। आईएफसी ने आगे यह भी बताया कि भारत के चाय बागान क्षेत्र में १५० साल पुरानी कुछ ऐसी समस्याएँ चली आ रही हैं, जो इस क्षेत्र को लगातार परेशान कर रही हैं और जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आईएफसी ने ४४ बिंदुओं वाला एक ड्राफ्ट ई&एस कार्य योजना (ईएसएपी) भी जारी किया, जिसमें एपीपीएल के सभी चाय बागानों में बुनियादी ढाँचे में बड़े सुधार करके, वहाँ रहने और काम करने की स्थितियों को बेहतर बनाने और मज़दूरों की वित्तीय साक्षरता (financial literacy) को बढ़ाने का वादा किया गया था। आईएफसी ने ये वादे किए थे: (अ) किसी तीसरी पार्टी को यह ज़िम्मेदारी देना कि वह एपीपीएल के २५ बागानों में हर साल अन्वेषण (ऑडिट) करे और मज़दूरों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण करे; (ब) राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी की शर्तों का एपीपीएल द्वारा पालन किए जाने के संबंध में अपनी कानूनी राय देना; और (क) यह सुनिश्चित करना कि ईएसएपी को सार्वजनिक किया जाए और मज़दूरों से इस पर सलाह-मशवरा किया जाए। अक्टूबर २०१६ में, एपीपीएल के बोर्ड ने ईएसएपी को इस शर्त के साथ मंज़ूरी दी कि इसे लागू करने के लिए एपीपीएल को अपने शेयरधारकों से वित्तीय मदद लेनी होगी। एपीपीएल के प्रबंधन ने बताया कि हाल ही में हुए वित्तीय नुकसानों के कारण, वे ईएसएपी के उन हिस्सों को लागू करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत है, खासकर बुनियादी ढाँचे में सुधार की योजना से जुड़े कामों में।

सीएओ की निगरानी और स्थिति:-

२०१९ में, सीएओ की पहली मॉनिटरिंग रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि आईएफसी की सीमित निगरानी से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि क्लाइंट 'परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स' का पालन करने की सही राह पर है, और यह भी कि सीएओके निष्कर्षों के जवाब में आईएफसी ने अपनी खुद की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। खास तौर पर, आईएफसी ने ये काम नहीं किए थे: (अ) किसी तीसरी पार्टी को सालाना ऑडिट करने और क्लाइंट की २५ एस्टेट्स में से एक प्रतिनिधि सैंपल लेकर कर्मचारियों की राय जानने वाला सर्वे करने का काम सौंपना; (ब) राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की ज़रूरतों के साथ क्लाइंट के अनुपालन पर अपनी कानूनी राय को अपडेट करना; या (सी) यह सुनिश्चित करना कि अक्टूबर २०१६ में एपीपीएल बोर्ड द्वारा मंज़ूरी दिए जाने से पहले ईएसएपी को सार्वजनिक किया गया था और कर्मचारियों से मशवरा किया गया था।

सीएओ ने अपनी दूसरी 'कम्प्लायंस ओम्निबस मॉनिटरिंग रिपोर्ट' (मई २०२४) के हिस्से के तौर पर इस मामले की फिर से समीक्षा की। हालाँकि आईएफसी ने (दिसंबर २०२३ में) श्रमिकों के रहने की स्थिति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने में कुछ प्रगति की जानकारी दी थी—मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के ज़रिए—लेकिन सीएओ ने पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी सुधार अभी भी बाकी हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्लाइंट के पास ज़रूरी वित्तीय संसाधन अभी तक तय नहीं किए गए हैं। आईएफसी ने यह भी बताया कि उसने आईएफसी की इन प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया है: किसी तीसरी पार्टी से ऑडिट करवाना और कर्मचारियों की राय जानने वाला अध्ययन करवाना; चाय बागान के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन पर अपनी कानूनी राय को अपडेट करना; और असम में चाय बागान क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक ज़्यादा सातत्यतापूर्ण रास्ता खोजने के लिए चाय बागान क्षेत्र का अध्ययन करवाना। हालाँकि, आईएफसी ने यह जानकारी ज़रूर दी कि उसने एपीपीएल, शिकायतकर्ताओं और स्थानीय सीएसओ के बीच बातचीत का आयोजन किया था, ताकि परस्पर भरोसा कायम किया जा सके, कर्मचारियों के साथ जुड़ाव को मज़बूत किया जा सके और क्लाइंट की शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके।

दिसंबर २०२५ में, आईएफसी ने सीएओ को कंपनी द्वारा चल रही निगरानी के बारे में एक अपडेट दिया। आईएफसी ने बताया कि उसने हाल ही में उन तीन चाय बागानों का दौरा किया, जो सीएओ के 'टाटा टी-02' मामले के दायरे में आते हैं। आईएफसी ने सीएओ को चाय बागानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए सुधार, दी गई सिफारिशों और कंपनी को दिए गए क्षमता-निर्माण संबंधी सहयोग के बारे में जानकारी दी। आईएफसी ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन/लाभों की समीक्षा करने के लिए एक बाहरी कानूनी राय भी ली, ताकि यह देखा जा सके कि वे लागू वेतन नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

इस मामले में सीएओ द्वारा की गई जांच/मॉनिटरिंग का सारांश देखने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। इस तालिका को तैयार करते समय, आईएफसी और शिकायतकर्ताओं को अपनी राय देने का अवसर प्रदान किया गया था।

भारत: टाटा टी-01 और–02			
सीएओ जांच रिपोर्ट: https://officeसीएओ.org/4sCi84H आईएफसी मैनेजमेंट का जवाब: https://officeसीएओ.org/4sw69W9 पहली कंप्लायंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट: https://officeसीएओ.org/49vHCrz दूसरी कंप्लायंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट: https://officeसीएओ.org/4jsFG7X			
सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #1 **सितंबर २०१६** **आईएफसी की आम निगरानी के बारे में सीएओ की खोज :** एपीपीएल में अपने निवेश पर आईएफसी की निगरानी, सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी या संबंधित पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा प्रक्रियाओं (ईएसआरपी) की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती थी। आईएफसी, "अपने क्लाइंट के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के पालन का आकलन करने के लिए ज़रूरी जानकारी को विकसित करने और अपने पास रखने" (ईएसआरपी) में नाकाम रहा है। जहाँ आईएफसी ने कंप्लायंस (अनुपालन) में कमियाँ पहचानी हैं, वहाँ आईएफसी ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि ये कमियाँ, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड १ के तहत ज़रूरी समय-सीमा वाले और संसाधनों से लैस एक्शन प्लान में बदलें। परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए ई&एस कंप्लायंस से जुड़े मुद्दे अनसुलझे ही रह गए हैं।			
आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
कार्य योजना (एक्शन प्लान) २०१६ की प्रतिबद्धताओं में निम्न मुद्दे शामिल हैं: • रहने और काम करने की स्थितियों, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) और कंपनी के ई&एस जोखिम प्रबंधन से निपटने के लिए ४४ बिंदुओं वाला ड्राफ़्ट एक्शन प्लान। • आईएफसी ने अपने सीधे सुपरविज़न को और बेहतर बनाने के लिए, प्राथमिकता के तौर पर : टाटा ग्लोबल बेवरेजेस (टीजीबी) के साथ मिलकर, थर्ड-पार्टी द्वारा एक वार्षिक स्वतंत्र	आईएफसी ने यह रिपोर्ट किया है कि उसने एपीपीएल के ई&एस (पर्यावरण और सामाजिक) प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई मोर्चों पर कई कदम उठाए हैं, जिनमें स्टेकहोल्डर के साथ जुड़ाव, शिकायत प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस), सुरक्षा, और लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) शामिल हैं। २०१६ के एक्शन प्लान के कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं, खासकर सामाजिक बुनियादी	आईएफसी ने अभी तक अप्रैल २०२५ में प्रकाशित अपने 'सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क' (Remedial Action Framework) को इस मामले पर लागू नहीं किया है। एपीपीएल के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के तौर पर और विकास के जनादेश के तहत, आईएफसी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह उन दस्तावेज़ों में दर्ज गैर-अनुपालन और जोखिमभरी, रहने व काम	यह एक्शन प्लान आईएफसी द्वारा जारी किया गया था और २०१६ में एपीपीएल बोर्ड द्वारा मंज़ूर किया गया था। जब एपीपीएल के बोर्ड ने इस एक्शन प्लान को मंज़ूर किया, तो इसमें एक शर्त यह भी शामिल थी कि इसे लागू करने के लिए शेयरधारकों से मदद की ज़रूरत होगी। एक्शन प्लान के अनुसार

ऑडिट और कर्मचारियों की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (अ) एक्शन प्लान; (ब) सुधार के अन्य उपाय जो या तो लागू किए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और (क) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और एम्प्लॉई शेयर प्लान के बारे में श्रमिकों को जागरूकता प्रशिक्षण, जिन्हें एपीपीएल द्वारा शुरू किया गया है। • एपीपीएल के ई&एस प्रबंधन प्रणाली को सहायतारूप किए जाने वाले कार्य।	ढांचे में सुधार, जो एपीपीएल के पास वित्तीय फंड की कमी के कारण अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। आईएफसी ने बताया कि एपीपीएल सामाजिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार, दोनों के सामाजिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों का लाभ उठा रहा है। आईएफसी की रिपोर्ट है कि उसने शिकायतकर्ताओं के प्रतिनिधियों को यह पहले ही बता दिया था कि वह सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आर्थिक योगदान देने में असमर्थ है, और उसने एपीपीएल को सरकारी सामाजिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तीसरे पक्ष से ऑडिट करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में, आईएफसी ने बताया कि उसने प्रबंधन प्रणाली का कोई ओर नया तीसरा पक्ष ऑडिट नहीं करवाया है, क्योंकि एपीपीएल की आर्थिक स्थिति और बाकी कमियों (मुख्य रूप से, सामाजिक बुनियादी ढांचा) की प्रकृति को देखते हुए ऐसे ऑडिट से कोई खास फायदा होने	करने की स्थितियों को संबोधित करे, जो पिछले १५ सालों से टाटा समूह के साथ उसकी संयुक्त-स्वामित्व वाले बागानों में मौजूद हैं। आईएफसी द्वारा किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट और श्रमिकों की राय जानने वाला सर्वेक्षण (worker perception survey) न करवाना, यह दर्शाता है कि वह उन बुनियादी ढांचों और मरम्मत कार्यों की ज़िम्मेदारी लेने में विफल रहा है, जिनकी तत्काल आवश्यकता है। आईएफसी द्वारा एपीपीएल के SA8000, Trustea और Rainforest Alliance प्रमाणपत्रों का हवाला देना, उन गलतियों को दोहराता है जिनकी पहचान सीएओने लगभग एक दशक पहले अपनी जांच रिपोर्ट में की थी। जैसा कि सीएओ ने २०१६ में निष्कर्ष निकाला था, आईएफसी ने "कोई सबूत" नहीं दिया था कि उसने यह आकलन किया हो कि क्या ये योजनाएं आईएफसी की ज़रूरतों के अनुरूप हैं या नहीं,	इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लागू करने के लिए फ़ंड जुटाना, एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। हाल के सालों में, कंपनी की आईएफसी को दिये जाने वाली सालाना ई&एस रिपोर्टिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है (जैसे, हर चाय बागान के कामकाज की पूरी जानकारी)। हालाँकि, ईएसएमस के मुताबिक क्लाइंट और परफ़ॉर्मेंस स्टैंडर्ड के पालन की जाँच करने वाले थर्ड-पार्टी ऑडिट की गैर-मोजूदगी का मतलब है कि कंपनी के कामकाज से जुड़े ई&एस जोखिम और असर ठीक से दर्ज नहीं किया गया है और आईएफसी को उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हालाँकि सीएओ यह मानता है कि क्लाइंट के पास SA8000, Trustea और Rainforest Alliance के लिए थर्ड-पार्टी सर्टिफ़िकेशन है, लेकिन यह परफ़ॉर्मेंस

	की संभावनाएं नहीं थी। इसके बावजूद, आईएफसी ने बताया कि एपीपीएल के पास SA8000, Trustea, और Rainforest Alliance सर्टिफिकेशन हैं, जिनकी तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर ऑडिट करके पुष्टि की जाती है। आईएफसी ने बताया कि उसने कर्मचारियों की राय जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है, जैसा कि मूल रूप से कार्य योजना में सोचा गया था। बाकी काम सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर हैं जो अरुणाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार की प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी गति से आगे बढ़ाए जाएँगे। इसे ध्यानमे रखते हुए, इस ऑडिट को करवाने से ज़मीनी स्तर पर नतीजों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और न ही कर्मचारियों की सुखाकारी में बढ़ोतरी हो सकती है।	क्या उसने उनकी कार्यप्रणालियों की समीक्षा की है, या उसने अंतर्निहित ऑडिट रिपोर्ट की जांच भी की है जिससे आईएफसी का प्रमाणपत्रों पर भरोसा "समस्याग्रस्त" हो जाता है। फिर भी, शिकायतकर्ता आईएफसी के साथ एक मध्यस्थता वाली बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ताकि रहने की उन जोखिमरी स्थितियों को संबोधित किया जा सके, जो श्रमिकों और उनके परिवारों के खराब स्वास्थ्य परिणामों का कारण बन रही है। हालांकि शिकायतकर्ताओं ने आमने-सामने बेठ कर बातचीत का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत आयोजित नहीं की गई है। शिकायतकर्ता सीएओ का ध्यान असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच) द्वारा २०२५ की शुरुआत में प्रकाशित एक नए शोध की ओर दिलाना चाहते हैं। इस शोध में फेफड़ों के एक	स्टैंडर्ड के पालन की जाँच के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट करवाने की आईएफसी की अपनी ज़िम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा, आईएफसी ने यह भी बताया कि जैसा कि उसके २०१६ के एक्शन प्लान में तय किया गया था, उसने मज़दूरों की राय जानने के लिए कोई सर्वे नहीं करवाया है।

		जानलेवा फंगल संक्रमण 'क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस' (CPA) की पहचान की गई है, जो असम के मौजूदा और पूर्व चाय बागान श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है; यह शोध तपेदिक (Tuberculosis) और CPA के बीच एक चिंताजनक संबंध का खुलासा करता है। यह अध्ययन से पता चला है कि CPA, जो 'एस्परगिलस' नामक फंगस के कारण होता है, क्षतिग्रस्त फेफड़ों में पनपता है और यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह फेफड़ों में गुहाएं (cavities), फंगल जमाव और सांस लेने संबंधी गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। मीडिया में व्यापक रूप से इस अध्ययन की चर्चा भी हुई थी; देखें : टाइम्स ऑफ इंडिया (https://bit.ly/4bfmvfx), ३ फरवरी, २०२५। यह अध्ययन यहाँ पर उपलब्ध है: https://bit.ly/4qafJwr.	

स्थिति:खुला	
लागुकरण की रेटिंग:	लागू नहीं किया गया है। आईएफसी ने अपने क्लाइंट को उसके चाय बागानों के लिए पूरे सिस्टम में ईएसएमस विकसित करने और लागू करने में सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं किया है। आईएफसी ने अपने क्लाइंट के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अनुपालन का थर्ड-पार्टी ऑडिट या कर्मचारियों की राय जानने वाला सर्वे भी नहीं करवाया है। स्टेकहोल्डर के साथ जुड़ाव, शिकायत का प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस), सुरक्षा, और लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) से संबंधित आईएफसी के अन्य कार्यों को इस तालिका के अगले अनुभागों में शामिल किया गया है।
प्रभावशीलता रेटिंग:	प्रभावी नहीं है। मुख्य प्रतिबद्धताओं (ईएसएमस, थर्ड-पार्टी ऑडिट और कर्मचारियों की राय जानने वाला सर्वे) को लागू नहीं किया गया है। आईएफसी का सामान्य सुपरविज़न परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को प्रदर्शित नहीं करता है। साक्ष्य संकेत देते हैं कि परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है और जोखिम/नुकसान काफी हद तक कम भी नहीं हुए हैं।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #2

सितंबर २०१६

क्लाइंट के चाय बागानों में कामगारों के रहने की स्थितियों पर आईएफसी की निगरानी के संबंध में सीएओ के निष्कर्ष: आईएफसी ने इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि उसका क्लाइंट, आवास और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह से निभा रहा है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 2 (PS2) की ज़रूरतों को पूरा करता हो। PS2 का उद्देश्य "सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की स्थितियों को बढ़ावा देना, और श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना" है; इसे देखते हुए सीएओ का मानना है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य से जुड़े

सूचकांको पर आईएफसी का ध्यान अपर्याप्त रहा है। निगरानी के दौरान, आईएफसी ने शिकायतकर्ताओं द्वारा आवास और रहने की स्थितियों के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से कोई जवाब नहीं दिया है।			
आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
संबंधित कार्य योजना २०१६ की प्रतिबद्धताओं का सारांश, जिसमें निम्न शामिल हैं: • जल, स्वच्छता और आवास से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार की श्रृंखला। जल और स्वच्छता संबंधी सुधार के मार्च २०१९ तक, और आवास संबंधी सुधार के मार्च २०२२ तक पूरा होने की उम्मीद थी।	अपनी जांच एवं निगरानी गतिविधियों के आधार पर, आईएफसी ने पाया कि एपीपीएल ने रिपोर्ट दी है कि २०२३ के बाद से बुनियादी ढांचे के सुधार में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालाँकि, यह अलग-अलग एस्टेट में अलग-अलग होता है; उदाहरण के तौर पर, हत्तीगोर और नाहोरानी में, प्रमुख बुनियादी ढांचे जैसे कि आवास और शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव से जुड़ी शिकायतों को 'सामुदायिक कल्याण अधिकारी' और 'शिकायत निवारण तंत्र' के माध्यम से नियमित रूप से हल किया जा रहा है। इसके अलावा, २०२२-२३ से लेकर अब तक, हर साल आवास और शौचालयों की मरम्मत के काफी मामले सामने आए हैं। आईएफसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी ढांचे में जो सुधार हासिल किए गए हैं (मूल कमियों	हत्तीगोर, माजुली और नाहोरानी बागानों के मज़दूरों का यह कहना है कि सरकारी योजनाओं का असर बहुत कम हुआ है और बुनियादी ढांचे में अभी भी बहुत कमियां बाकी रह गई हैं। योजनाओं के पीछे राजनीतिक मकसद होने के कारण, अलग-अलग जगहों पर कार्य प्रगति भी बहुत असमान देखी जा सकती है। कुछ मज़दूरों का कहना है कि सरकारी योजना के तहत कुछ नए घर बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि २०१६-१७ के बाद से कोई नया घर नहीं बनाया गया है। कुछ मज़दूरों की बस्तियों में, एक सरकारी योजना के तहत घरों में पानी के नल लगाने का काम चल रहा है। कुछ बस्तियों में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। कुछ बस्तियों में पानी की सप्लाई का बुनियादी ढांचा तो	कार्य योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि सभी बुनियादी ढाँचे में सुधार के काम मार्च २०२२ तक पूरे हो जाएँगे। हालाँकि आईएफसी ने आवास, पानी की पहुँच और स्वच्छता के संबंध में अलग-अलग स्तर की प्रगति होने की रिपोर्ट दी है, लेकिन यह काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के माध्यम से नई परियोजनाओं पर निर्भर है। इसके अलावा, आईएफसी की रिपोर्ट यह भी है कि २०२३ के बाद से बुनियादी ढाँचे में सुधार प्रक्रिया में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सीएओ ने शिकायतकर्ता के इस दावे पर गौर किया है कि रहने की स्थितियों में

	के प्रतिशत के रूप में) वे इस प्रकार हैं: शौचालय: ५२%; बाथरूम: ३२%; सीमेंट की नालियाँ: ४%; आवास: २४%; और रसोईघर:८%। सरकारी कार्यक्रम द्वारा पानी और बिजली के कनेक्शनों में लगातार सुधार किए जा रहे है, साथ ही कुछ नए आवास भी उपलब्ध करा रहे हैं, हालाँकि नए आवासों की संख्या सीमित है। ये नए आवास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे, भारत सरकार और असम सरकार द्वारा निर्धारित मानकों (नियमों/ कानूनों) के अनुसार ही बनाए जाते हैं।	बिछा दिया गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों को पहले की तरह ही, बिना फ़िल्टर किया हुआ बोरवेल का पानी ही मिल पाता है। हाल के दिनों में मज़दूरों को पानी फ़िल्टर करने वाले फ़िल्टर भी नहीं मिले हैं। मज़दूर अपने लिए खुद ही कामचलाऊ कुएं या हैंडपंप बनाकर काम चला रहे हैं, या फिर वे साझा स्टैंडपाइप का इस्तेमाल करते हैं, जहां लगभग ४-५ घरों के बीच एक स्टैंडपाइप होता है। हालांकि कुछ बागानों के अस्पतालों को एक सरकारी योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) से जोड़ा गया है, लेकिन मज़दूर यह सवाल उठा रहे है कि आखिर इससे इलाज की गुणवत्ता और दवाओं पर क्या असर पड़ा है? मज़दूरों को मामूली बीमारियों और बुखार के अलावा किसी भी दूसरी बीमारी के लिए, पास के कस्बों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाता है।	अभी भी काफी कमियाँ दिखाई दे रही हैं। सीएओ ने इस बात पर गौर किया है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और राष्ट्रीय कानून के तहत पर्याप्त आवास, पानी की पहुँच और स्वच्छता उपलब्ध कराना, कंपनी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। हालाँकि यह एक सकारात्मक बात है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों के कारण कुछ सुधार देखें गए हैं, फिर भी एक बड़ी कमी बनी हुई है, जिसका समाधान कंपनी के सामने सुधार के लिए फंड जुटाने की स्वीकार की गई चुनौती के संदर्भ में स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा संदर्भित सरकारी रिपोर्ट भी इसी स्थिति की ओर इशारा करती है। अब तक बुनियादी ढाँचे में जो भी सुधार पूरे किए गए हैं, वे भारत सरकार और असम राज्य के मानकों के अनुसार किए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये मानक,

		अन्य मरम्मत/बुनियादी ढांचे के विषय में: • मज़दूरों के घरों में पहले की तरह ही, कई शौचालय टूटे हुए हैं और इस्तेमाल के लायक ही नहीं हैं। • हालांकि घरों की मरम्मत से जुड़ी शिकायतों के लिए एक प्रक्रिया और एक रजिस्टर भी मौजूद है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और अक्सर मज़दूरों के पास ज़रूरी मरम्मत खुद ही कर लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। • मज़दूरों का कहना है कि पिछले लगभग ३-५ सालों से मरम्मत का काम रुका हुआ है, और प्रबंधन इसके लिए पैसों की कमी का बहाना दर्शाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट, जो ३० अगस्त २०२४ को पेश की गई थी, वह असम सरकार की 'चाय बागान जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन' पर आधारित है। इस रिपोर्ट में एपीपीएल के दो बागानों	श्रमिकों के आवास के लिए आईएफसी के PS2 मानकों के बराबर हैं या नहीं।

		(नाहोरानी और केलीडेन) का खास तौर पर ज़िक्र किया गया है। यह रिपोर्ट कुल ३९ चाय बागानों के अध्ययन पर आधारित थी, जिसमें घरों का भौतिक निरीक्षण और मज़दूरों के साथ बातचीत भी शामिल थी। नाहोरानी उन २८ बागानों में से एक है, जहाँ मज़दूर कच्चे घरों में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन कच्चे घरों में रहने वाले लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में उन्हें छतों से पानी टपकने और रिसने की समस्या का सामना करना पड़ता है (देखें पृष्ठ ५७)। रिपोर्ट में पाया गया कि नाहोरानी उन बागानों में से एक है जहाँ पानी की गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, वहाँ के निवासी पानी की गुणवत्ता कि कोई गारंटी के बिना उसका सेवन कर रहे थे" (पृष्ठ ५९ देखें)। केलीडेन को उन चाय बागानों में से एक के रूप में पहचाना गया है, जहाँ के आवास	

		निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते थे; यहाँ घरों में ज़रूरत से कम कमरे थे, और बरामदे, शौचालय और रसोई या तो उपलब्ध नहीं थे या निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं थे (पृष्ठ ५८)। मज़दूरों के लिए बनाए गए आवासो में खराब आवास और रहने की स्थितियों को दर्शाने वाली तस्वीरों में, केलीडेन में एक लेबर लाइन पर पानी के एक अपर्याप्त स्रोत (रिंगवेल) की एक तस्वीर भी शामिल है (पृष्ठ ५९)। रिपोर्ट में केलीडेन के बागान स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी पाई गई (पृष्ठ १००)। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि "किसी भी चाय बागान ने ऑडिट के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान मज़दूरों के लिए नए घर नहीं बनाए थे" (पृष्ठ ५७) और इसमें स्थायी मज़दूरों की तुलना में घरों की संख्या पर एक परिशिष्ट भी शामिल है (पृष्ठ १०३)। रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है: https://bit.ly/3Lkc0gz	

स्थिति:खुला	
लागुकरण की रेटिंग:	आंशिक रूप से लागू। आईएफसी कार्य योजना के शुरुआती वर्षों में, कंपनी ने कुछ बुनियादी ढाँचे में सुधार किए। हालाँकि, एपीपीएल के पास फंड की कमी के कारण यह काम रुक गया है। हाल के बुनियादी ढाँचे में सुधार सरकारी कार्यक्रमों के कारण हुए हैं, और इन्हें भारत सरकार और असम के मानकों के अनुसार लागू किया गया है। हालाँकि, सीएओ यह समझता है कि रहने की पर्याप्त सुविधाओं में अभी भी काफ़ी कमीयां रह गई है।
प्रभावशीलता रेटिंग:	आंशिक रूप से प्रभावी क्लाइंट ने शुरू में बुनियादी ढाँचे में कुछ सुधार किए थे, हालांकि हाल के सुधार सरकारी कार्यक्रमों के कारण हुए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रहने की स्थितियों में अभी भी काफ़ी कमीयां बाकी रह गई है। सीएओ को इस कमी को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उन्हे साइट का दौरा करना होगा।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #3

सितंबर २०१६

मज़दूरी और मुआवज़े पर आईएफसी की निगरानी के संबंध में सीएओ की टिप्पणी:

इस आरोप के जवाब में कि क्लाइंट मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करता है, आईएफसी ने इस मुद्दे पर बाहरी कानूनी सलाह लेने के लिए उचित कार्रवाई की। हालाँकि, जब यह सलाह दी गई थी, तब यह मौजूदा हालात के हिसाब से नहीं थी, और इसलिए इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। एक तो आईएफसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्लाइंट मज़दूरी से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित रूप से इस तरह से पेश कर रहा है जो "स्पष्ट, आसानी से समझ में आने वाली और सटीक हो, और मज़दूर या सीधे तौर पर अनुबंधित कर्मचारी की भाषा में हो।" इसके अलावा, आईएफसी ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि अस्थायी और स्थायी मज़दूरों की मज़दूरी और कार्यस्थल ऊपर काम करने की स्थितियाँ, आईएफसी की उन नौकरियों को समर्थन देने की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं या नहीं जो मज़दूरों के "स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देती हैं," और वह इस तरह उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वियन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
संबंधित कार्य योजना २०१६ की प्रतिबद्धताओं का सारांश, जिसमें शामिल हैं: • श्रमिकों का वेतन राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं इस विषय में आईएफसी ने अपनी कानूनी राय को अद्यतन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। • स्थानीय भाषा में श्रमिकों की वेतन पर्ची देना।	आईएफसी ने, न्यूनतम मज़दूरी पर पहले दी गई शुरुआती कानूनी राय के बाद, एक बाहरी कानूनी सलाहकार को नियुक्त किया ताकि वह लागू मज़दूरी नियमों के आधार पर मज़दूरों की मज़दूरी और मिलने वाले लाभों की समीक्षा कर सके। यह राय सितंबर २०२५ में सम्पन्न हुई थी। आइएफसी ने पाया कि भारत में चाय के बागानों के श्रमिकों की मज़दूरी और लाभों का ढांचा काफी जटिल है, क्योंकि इसमें नकद और कोई चीज या वस्तु के रूप में मिलने वाले मुआवज़े का मिश्रण होता है। कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय में कुछ चाय बागान के श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभों में कुछ छोटी-मोटी कमियों को दर्शाया गया था। आईएफसी ने एपीपीएल को इस राय में बताई गई कमियों को दूर करने का सुझाव दिया।	शिकायतकर्ताओं को शुरुआती कानूनी राय या आईएफसी द्वारा करवाए गए उसके बाद के रिव्यू को देखने का मौका नहीं दिया गया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की अनुसूची में चाय बागान भी शामिल होते है। जिससे चाय बागान में काम करने वाले कर्मचारी कानूनी रूप से तय न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हो जाते हैं। असम में कृषि श्रमिकों के लिए मौजूदा न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिकों के लिए रु. ३४४.८० है (कृपया ध्यान दें कि हम यह कहना चाहेंगे कि चाय बागान में काम करने वाले लोग असल में कुशल या अर्ध-कुशल श्रमिक हैं)। इसके बावजूद, एपीपीएल के बागानों में चाय बागान में काम करने वाले लोगों को मिलने वाला मौजूदा दैनिक वेतन सिर्फ़ रु. २५०.०० है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या ५, २०२४-असम सरकार के 'चाय जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वियन के प्रदर्शन पर ऑडिट रिपोर्ट), जिसे ३० अगस्त २०२४ को पेश किया गया था, उस में 'न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ का अनुपालन' विषय पर एक प्रकरण V शामिल है। इस अध्याय में मौजूदा स्थिति की कानूनी वैधता को लेकर कई कमियाँ पाई गई हैं, जो आईएफसी के इस दावे को कमज़ोर करती हैं कि इसमें सिर्फ़ मामूली विसंगतियाँ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है:	सितंबर २०२५ में, आईएफसी ने इस बारे में अपनी कानूनी राय अपडेट की कि क्या चाय बागान के मज़दूरों की मज़दूरी राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी की ज़रूरतों को पूरा करती है? इस राय का निष्कर्ष यह है कि आईएफसी का क्लाइंट मज़दूरों को २०२३ की त्रिपक्षीय प्रक्रिया और राज्य सरकार की अधिसूचना (अक्टूबर २०२३) में तय की गई मज़दूरी की ज़रूरतों के अनुसार ही भुगतान करता है। हालाँकि, इस राय में असम सरकार की रिपोर्ट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (२०२४ CAG रिपोर्ट) में बताए गए कई मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। विशेष रूप से, (अ) असम सरकार ने मज़दूरी तय करने के उद्देश्य से चाय बागान के मज़दूरों को 'अनुसूचित रोज़गार' के रूप में अधिसूचित नहीं किया था, जबकि चाय बागान का काम न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम १९४८ के तहत समाविष्ट की गई है; (ब) ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह पता चल सके कि मज़दूरी के रूप में दी जाने वाली गैर-नकद चीज़ों (जलाऊ लकड़ी, खाने का राशन और सूखी चाय) के नकद मूल्य को राज्य सरकार

		"न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की धारा ११ में यह प्रावधान भी है कि इस अधिनियम के तहत देय न्यूनतम वेतन नकद में दिया जाना चाहिए। जहाँ वेतन पूरी तरह या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में देने का रिवाज़ हो, वहाँ सबंधित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, न्यूनतम वेतन का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में करने की अनुमति दे सकती है; ऐसे मामलों में वस्तु के रूप में दिए गए वेतन का नकद मूल्य का आकलन निर्धारित तरीके से किया जाएगा।" (पृष्ठ ७०) हालाँकि, रिपोर्ट में यह पाया गया है कि: "वेतन का आंशिक भुगतान वस्तु के रूप में करने का रिवाज़ बिना किसी अनुमति के जारी रहा है, और वस्तु के रूप में' दिए गए लाभ वेतन का नकद मूल्य निर्धारित करने के लिए पुष्टि नहीं की गई... यह नहीं कहा जा सकता कि चाय बागान में काम करने वाले लोगों के वेतन का मामला कोई ऐसा विवाद था जिसे 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' के तहत द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सुलझाए जाने की आवश्यकता थी।" रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है: https://bit.ly/3Lkc0gz २०१६/२०१७ से, श्रमिक ज़्यादा मज़दूरी की माँग कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण लें तो अक्टूबर २०२५ में डिब्रूगढ़ में रोज़ाना की मज़दूरी बढ़ाने, आदिवासी चाय बागान के मज़दूर समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर मान्यता देने, और अपने ज़मीन के अधिकारों के लिए एक विरोध	द्वारा औपचारिक रूप से अधिकृत किया गया हो (२०२४CAG रिपोर्ट-अनुभाग ५.५); (क) कानूनी राय में वैधानिक लाभ (आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सवेतन अवकाश और सुरक्षात्मक कपड़े) के नकद मूल्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसे २०२४ के CAG रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी में नहीं गिना जाना चाहिए; और (ड) हालाँकि अक्टूबर २०२३ की अधिसूचना के अनुसार चाय बागान के मज़दूरों की दैनिक नकद मज़दूरी रु.२५०.०० है (और साथ में खाने का राशन, सूखी चाय और जलाऊ लकड़ी जैसे गैर-नकद लाभ भी मिलते हैं), फिर भी यह असम में सामान्य तौर पर अकुशल मज़दूरों पर लागू होने वाली न्यूनतम नकद मज़दूरी (२०२५ के अंत तक रु. ३४४.८०) से काफी कम है, जो बड़ी असमानता को दर्शाता है, और जिसका ज़िक्र CAG रिपोर्ट में भी किया गया है। आईएफसी ने सीएओ को श्रमिकों की वेतन पर्चियाँ भी उपलब्ध कराईं और बताया कि ये पर्चियाँ अंग्रेज़ी और असमिया भाषाओं में दी जाती हैं। इस संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं। आईएफसी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अस्थायी और स्थायी

		प्रदर्शन हुआ था (द असम ट्रिब्यून, https://bit.ly/496NOHz, १३ अक्टूबर, २०२५)। कुछ मज़दूरों का कहना है कि हाल में काम का दबाव भी बढ़ गया है, जिसमें हर रोज एक तय संख्या में झाड़ियों की छँटाई करना भी शामिल है।	मज़दूरों की मज़दूरी और काम करने की स्थितियाँ आईएफसी की उन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं या नहीं, जिनके तहत वह ऐसे रोज़गारों का समर्थन करता है जो मज़दूरों के "स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा" देते हैं, और इस प्रकार उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करते हैं। उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि असम में चाय बागान के श्रमिक आम तौर पर अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करते हैं और उनका स्वास्थ्य तथा शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है। विशेष रूप से, सीएओ ने २०२४ की CAG रिपोर्ट के विश्लेषण का ज़िक्र किया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि असम के चाय बागान के श्रमिकों की मज़दूरी "बहुत कम" है और भारत के अन्य प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों (तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) की तुलना में उन्हें सबसे कम मज़दूरी दी जाती है।
स्थिति:खुला			
लागुकरण की रेटिंग:		लागू किया गया आईएफसी ने अपनी कानूनी राय को अपडेट किया और सीएओ को अंग्रेज़ी और असमिया भाषाओं में वेतन पर्ची दिए जाने के सबूत दिए।	
प्रभावशीलता रेटिंग:		आंशिक रूप से प्रभावी आईएफसी ने इस बात के सबूत दिए हैं कि अब कर्मचारियों को वेतन पर्चियाँ असमिया भाषा में दी जाती हैं। आईएफसी	

	ने अपनी कानूनी राय को अद्यतन किया है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, कई मुद्दों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। हालाँकि आईएफसी ने सीएओ की गैर-अनुपालन संबंधी जाँच के कई पहलुओं पर काम किया है, फिर भी आईएफसी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के वेतन और काम करने की स्थितियाँ आईएफसी की उन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जिनके तहत वह ऐसी नौकरियों का समर्थन करता है जो कर्मचारियों के "स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा" दे सकती हैं, और इस प्रकार उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। विशेष रूप से, सीएओ ने २०२४ की CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चाय बागान के कर्मचारियों को वेतन बहुत कम दिया जा रहा है। सीएओ की राय में, चाय क्षेत्र के व्यापक अध्ययन (देखें #१२) के संदर्भ में आईएफसी की प्रतिबद्धता को लागू करने से उन चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाले और सकारात्मक विकास परिणामों को प्रभावित करने वाले वेतन को सुनिश्चित करने में अवरोध बनती हैं।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #4

सितंबर २०१६

संगठन बनाने की आज़ादी और शिकायतों के निपटान पर आईएफसी की निगरानी के संबंध में सीएओ के निष्कर्ष:

शिकायतकर्ताओं, वैश्विक यूनियनों और क्लाइंट द्वारा करवाए गए सामाजिक ऑडिट द्वारा संगठन बनाने की आज़ादी और सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में उठाई गई लगातार चिंताओं को देखते हुए, आईएफसी ने खुद को श्रम और कार्य स्थितियों पर प्रदर्शन मानक 2 (PS2) की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में सुनिश्चित नहीं किया है। PS1 और PS2 की शिकायत निवारण तंत्र आवश्यकताओं की समीक्षा और निगरानी के प्रति आईएफसी का दृष्टिकोण भी इसी तरह दोषपूर्ण है। चाय क्षेत्र में श्रमिकों की शिकायतों के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद, आईएफसी ने शिकायत निवारण के प्रति अपने क्लाइंट के दृष्टिकोण पर न तो समीक्षा की और न ही कोई आधारभूत डेटा एकत्र किया।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
कार्य योजना २०१६ की प्रतिबद्धताओं का सारांश, जिसमें निम्न मुद्दे शामिल हैं: • चाय बागान के स्तर पर जुड़ाव (कर्मचारी जुड़ाव परिषदें) और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां।	आईएफसी की पिछली जांच गतिविधियों से, यह पाया गया कि उसने पिछली पर्यवेक्षण यात्राओं के दौरान हितधारक जुड़ाव और शिकायत निवारण के क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश की पहचान की थी। आईएफसी बताता है कि उसने हाल ही में एपीपीएल के साथ कुछ क्षमता निर्माण गतिविधियां पूरी की हैं, ताकि हितधारक जुड़ाव, शिकायत निवारण तंत्र और GBVH (लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न) के प्रति उसके दृष्टिकोण को मज़बूत बनाया जा सके।	एपीपीएल में कर्मचारियों की संगठन बनाने की आज़ादी पर लगी पाबंदियों और 'कर्मचारी जुड़ाव परिषदों' का व्यवस्था तंत्र और काम करने के तरीके में मौजूद बुनियादी कमियों से जुड़े जिन चिंताजनक मुद्दों का ज़िक्र पहले किया गया था, वे अब भी बने हुए हैं। शिकायतकर्ताओं को एपीपीएल द्वारा 'हितधारकों के साथ जुड़ाव', 'शिकायत निवारण तंत्र' और 'लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न' के मामलों में अपनाए जाने वाले तरीकों से जुड़ी क्षमता-निर्माण गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।	'संगठन बनाने की आज़ादी' के संबंध में, आईएफसी के दस्तावेज़ों से पाया गया है कि कंपनी के ज़्यादातर चाय बागानों में चाय कर्मचारियों के लिए केवल एक ही मान्यता प्राप्त यूनियन मौजूद है। आईएफसी द्वारा की गई निगरानी के रिकॉर्ड में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि कंपनी के चाय बागानों में राष्ट्रीय कानूनों और PS2 के मुताबिक यूनियन बनाने में कोई रुकावट न हो, और शिकायतों का उचित तरीके से समाधान किया जा रहा हो।
स्थिति:खुला			
लागुकरण की रेटिंग:		आंशिक रूप से लागू उपलब्ध सबूतों से यह संकेत नहीं मिलता कि आईएफसी ने सीएओ की गैर-अनुपालन संबंधी टिप्पणी को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है और उसे लागू किया है। सीएओ यह स्वीकार करता है कि आईएफसी ने क्लाइंट की शिकायतों के निपटान में सहायता के लिए क्षमता निर्माण प्रदान किया है। हालाँकि, कंपनी के संचालन के पैमाने को देखते हुए, ये कार्रवाइयाँ एफओए और शिकायत निवारण के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।	
प्रभावशीलता रेटिंग:		प्रभावी नहीं कंपनी के संचालन के पैमाने (२५ चाय बागान) को देखते हुए, आईएफसी की क्षमता निर्माण गतिविधियाँ एफओए और शिकायत निवारण के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं	

	हैं। इसके अलावा, आईएफसी के जांच/सुपरविज़न के दस्तावेज़ों से इस बात की पुष्टि का कोई आधार नहीं मिलता कि कर्मचारी एस्टेट परिषदें श्रमिकों द्वारा शिकायतें उठाने और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य कर रही हैं।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #5

सितंबर २०१६

बाल श्रमिकों पर आईएफसी की निगरानी के संबंध में सीएओ की जाँच का निष्कर्ष:

भारत के कृषि क्षेत्र में, जिसमें चाय के बागान भी शामिल हैं, बाल श्रमिकों का प्रचलन आम बात है। इस संदर्भ में, सीएओ ने पाया है कि आईएफसी द्वारा अपने क्लाइंट के बागानों में बाल श्रमिकों के जोखिम को लेकर निवेश-पूर्व की गई जाँच-पड़ताल अपर्याप्त थी। इसी तरह, सीएओ से शिकायत मिलने के बाद भी, आईएफसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं कि उसका क्लाइंट वर्तमान में बाल श्रमिकों से संबंधित उसकी शर्तों का पालन कर रहा है।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
कोई खास कदम नहीं उठाए गए है। आईएफसी ने बताया कि एपीपीएल की पॉलिसी में बाल श्रमिकों को साफ तौर पर मना किया गया है।	आईएफसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एपीपीएल के पास बाल श्रमिकों को रोकने के लिए ज़रूरी उपाय मौजूद हैं, और आईएफसी ने २०२५ में उसकी समीक्षा की थी (इसमें कंपनी की बाल श्रम पर बनी पॉलिसी भी शामिल है - जो बाल श्रमिकों को मना करती है)। बाल श्रमिकों की रोकथाम ज़्यादातर सर्टिफ़िकेशन में शामिल होती है, और एपीपीएल का समय-समय पर SA8000 स्टैंडर्ड, Rainforest Alliance और Trustea सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम के तहत तीसरे पक्षों द्वारा ऑडिट किया जाता है। २०२५ में आईएफसी ने जिन ३ चाय बागानों का दौरा किया, उनमें से किसी में भी बाल श्रम का कोई सबूत नहीं मिल पाया था। आईएफसी ने पाया कि बागानों में क्रेच और स्कूल भी कार्यरत हैं, हालांकि कुछ मज़दूर	ऐसा लगता है कि ऑडिट नहीं किया गया और इसके बजाय आईएफसी फिर से सर्टिफिकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। २०१६ में, सीएओ ने पाया कि "ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि आईएफसी ने: i) आईएफसी की ज़रूरतों और बाहरी सर्टिफिकेशन की ज़रूरतों के बीच के अंतर का विश्लेषण किया हो; ii) सर्टिफिकेशन का आकलन करने के तरीके की समीक्षा की हो; या iii) सर्टिफिकेशन की ज़रूरतों के पालन का आकलन करने वाली तीसरी पार्टियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा की हो।"	सीएओ की २०१९ की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि सीएओ की मॉनिटरिंग के इस पहलू को पूरा करने के लिए आईएफसी को एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी से ऑडिट करवाना चाहिए। जैसा कि आईएफसी ने बताया है, तीसरी पार्टी द्वारा किया जाने वाला यह ऑडिट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आईएफसी के हालिया सुपरविज़न दस्तावेज़ों में यह बताया गया है कि कंपनी के पास बाल श्रमिकों को प्रतिबंधित करने वाली एक नीति है, और आईएफसी को अपनी साइट विज़िट के दौरान बाल श्रमिक का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला। जिन चाय बागानों

	अपने बच्चों को बागानों के बाहर के स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। शिकायत करने वालों ने बताया कि आईएफसी के २०२४ के अपडेट में यह कहा गया था, "काम की जगह पर बाल श्रम से निपटने के लिए जो प्रक्रियाएं मौजूद हैं, उनकी पुष्टि एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर तीसरे पक्ष के प्रस्तावित ऑडिट में भी की जाएगी।"		का आईएफसी ने दौरा किया, वहाँ आईएफसी ने यह भी पाया कि मज़दूर अपने बच्चों को चाय बागान के स्कूलों में भेजने के बजाय बागान के बाहर के स्कूलों में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वे बागानों में मिलने वाली शिक्षा और सुविधाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। २०२४ की CAG रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चाय बागान में काम करने वाले मज़दूरों की घरेलू आय कम होने के कारण, इन मज़दूरों में अपने बच्चों को घर पर ही रखने की प्रवृत्ति देखी गई है, ताकि वे अपने भाई-बहनों की देखभाल कर सकें और घर के अन्य काम-काज में सहाय कर सकें।

स्थिति:खुला	
लागुकरण की रेटिंग:	लागू किया गया है। आईएफसी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कंपनी के पास एक ऐसी पॉलिसी है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करती है।
प्रभावशीलता रेटिंग:	आंशिक रूप से प्रभावी आईएफसी ने पाया कि उसकी निगरानी में बाल श्रमिकों का कोई मामला सामने नहीं आया है और कंपनी के थर्ड-पार्टी सर्टिफ़िकेशन में बाल श्रमिकों की रोकथाम से जुड़ी शर्तें शामिल हैं - ये ऐसे सर्टिफ़िकेशन हैं जिन्हें कंपनी बनाए रखती है। जैसा कि आईएफसी ने बताया है, बच्चे अक्सर चाय बागान के स्कूलों में नहीं जाते (कुछ चाय बागानों में) और बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे अनौपचारिक बाल श्रमिक का

	जोखिम बढ़ सकता है, या बच्चों को अपने माता-पिता के साथ चाय बागान के काम वाले खेतों में जाने से खतरा हो सकता है। आईएफसी द्वारा कराए गए थर्ड-पार्टी ऑडिट की अनुपस्थिति (जैसा कि आईएफसी-एपीपीएल कार्य योजना 2016 में वादा किया गया था – सीएओ की गैर-अनुपालन रिपोर्ट 1 देखें) इस मामले पर आईएफसी को और अधिक आश्वासन प्रदान करेगी।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #6

सितंबर २०१६

कीटनाशकों के उपयोग पर आईएफसी की निगरानी से संबंधित सीएओ की रिपोर्ट:

आईएफसी ने इस प्रोजेक्ट पर कीटनाशकों को संभालने और उनके उपयोग से संबंधित अपनी शर्तों को ठीक से लागू नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरों को अत्यंत खतरनाक रसायनों के संपर्क में आना पद रहा है। विशेष रूप से, आईएफसी ने समय रहते क्लाइंट द्वारा उन कीटनाशकों के उपयोग की पहचान नहीं की, जो आईएफसी की शर्तों के तहत प्रतिबंधित या मर्यादित की गई हैं। इसके अलावा, आईएफसी क्लाइंट को इस बारे में पर्याप्त मार्गदर्शन देने में विफल रहा है कि कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित अनुपालन मुद्दों को कैसे हल किया जाए।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
कार्य योजना 2016 की प्रतिबद्धताओं का सारांश, जिसमें निम्न मुद्दे शामिल हैं: • WHO की श्रेणी 1a और 1b के सभी खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से दूर करना। • छिड़काव ड्यूटी पर तैनात सभी श्रमिकों को उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करना; अतिरिक्त PPE, आवश्यकतानुसार PPE बदलने के लिए बजट, प्रक्रियाओं में संशोधन और छिड़काव करने वाले श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।	आईएफसी ने फरवरी २०२० में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (OHS) विशेषज्ञ को नियुक्त किया, ताकि कई OHS मुद्दों और घटनाओं, साथ ही एपीपीएल की संबंधित प्रक्रियाओं—जिसमें कीटनाशक प्रबंधन भी शामिल है की समीक्षा की जा सके। OHS सलाहकार ने उन तीन बागानों का दौरा किया जो शिकायत का हिस्सा थे। एपीपीएल की कार्यप्रणालियाँ आम तौर पर पर्याप्त पाई गईं, हालाँकि कुछ सिफारिशें दी गईं, और एपीपीएल के साथ प्रशिक्षण की योजना बनाई गई, जिसे शुरू में Covid-19	हालांकि कुछ स्प्रे करने वालों को कीटनाशक से बचाव के लिए PPE दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पुराने और खराब हालत में होते हैं। कुछ स्प्रे करने वालों का कहना है कि उन्हें काम में बारी-बारी से नहीं लगाया जाता, उनके मेडिकल टेस्ट भी कभी-कभार ही होते हैं, और उन्हें उनके नतीजें भी नहीं बताए जाते है। श्रमिकों ने बताया कि जब एक ऑडिटर आया था, तब ऑडिटर को दिखाने के लिए स्प्रे करने वालों को उनके दौरे के दौरान नए PPE उपकरण दिए गए थे।	आईएफसी के सुपरविज़न दस्तावेज़ों में यह दर्ज किया गया है कि कंपनी WHO द्वारा प्रस्तावित कीटनाशकों की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, ख़तरा वर्ग Ia (बेहद खतरनाक) या वर्ग Ib (बहुत खतरनाक) वाले किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करती – जबकि PS3 के तहत कंपनियों को ऐसे रसायनों से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, आईएफसी के सुपरविज़न दस्तावेज़ों में यह भी दर्ज है

	प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया था। २०२५ में आईएफसी के एक साइट दौरे के दौरान, आईएफसी के OHS सलाहकार ने मुख्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और कुछ सिफारिशें कीं। हट्टीगोर, माजुली और नाहारोनी बागानों के श्रमिक कीटनाशक सुरक्षा के अलग-अलग स्तर की स्थितियों की रिपोर्ट देना जारी रखे हुए हैं। हालाँकि कुछ छिड़काव करने वालों को कीटनाशक सुरक्षा उपकरण (PPE) दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पुराने और खराब हालत में होते हैं।	शिकायत करने वालों को न तो ऑडिट रिपोर्ट दी गई है, और न ही वे सुझाव दिए गये है जो आईएफसी के OHS सलाहकार ने २०२० या २०२५ में दिए थे।	कि कंपनी WHO द्वारा सुझाई गई कीटनाशकों की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, ख़तरा वर्ग II (मध्यम रूप से खतरनाक) वाले रसायनों का इस्तेमाल करती है। PS3 के तहत, ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है, जब कंपनी उनकी खरीद, भंडारण, रखरखाव, इस्तेमाल और निपटान पर उचित नियंत्रण रखती हो, ताकि श्रमिकों को उनके संपर्क में आने से बचाया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। PPE के पर्याप्त इस्तेमाल और कीटनाशकों के सुरक्षित रखरखाव / इस्तेमाल के संबंध में, आईएफसी के पास अभी तक ऐसे पर्याप्त सुपरविज़न दस्तावेज़ मौजूद नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि इन नियंत्रणों को असल में लागू किया गया है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग II के कीटनाशकों से भी गंभीर और तत्काल ज़हरीलेपन का खतरा बना रहता है, और इनके इस्तेमाल के दौरान PPE तथा सुरक्षा-संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है।
स्थिति:खुला			
लागुकरण की रेटिंग:		आंशिक रूप से लागू	

	आईएफसी ने कंपनी के साथ मिलकर WHO क्लास 1a और 1b के सभी खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर काम किया है। आईएफसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। ज़रूरत के हिसाब से लगातार पर्याप्त PPE उपलब्ध कराए नहीं जा रहे हैं, प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, और सभी बागानों में छिड़काव करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
प्रभावशीलता रेटिंग:	आंशिक रूप से प्रभावी आईएफसी की निगरानी रिपोर्ट बताती है कि कंपनी WHO क्लास 1a और 1b के कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करती है। हालाँकि, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पर्याप्त PPE की उपलब्धता और छिड़काव की प्रक्रियाओं को लेकर सुरक्षा सबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #7

सितंबर २०१६

सुरक्षा जोखिम को लेकर क्लाइंट के दृष्टिकोण से जुड़े जोखिमों पर आईएफसी की निगरानी के संबंध में सीएओ का निष्कर्ष:

आईएफसी ने निगरानी के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया कि सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर क्लाइंट का दृष्टिकोण 'प्रदर्शन मानक ४: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा' के अनुरूप है।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
2०१६ की कार्य योजना में कोई खास कार्रवाई नहीं की गई।	आईएफसी और उसके PS4 सुरक्षा सलाहकारों ने २०१९ में एपीपीएल की सुरक्षा प्रबंधन योजना (SMP) की समीक्षा की और उस पर विस्तृत टिप्पणियाँ दीं। २०२५ में एक अद्यतन योजना प्रस्तुत की गई। आईएफसी ने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि इसमें जोखिम मूल्यांकन, गार्ड के प्रशिक्षण और सुरक्षा गार्ड के	शिकायतकर्ताओं को एपीपीएल की सुरक्षा प्रबंधन योजना न तो उपलब्ध कराई गई और न ही उन्हें उस पर अपनी राय देने का कोई अवसर मिला।	आईएफसी ने बताया है कि उसने कंपनी की SMP की समीक्षा की और उस पर अपनी टिप्पणियाँ दीं, और हाल ही में उसने इस विषय पर कंपनी को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। PS4 मार्गदर्शक नोट में यह प्रावधान है कि ग्राहकों को अपनी सुरक्षा

<table>
<tr><td></td><td>खिलाफ शिकायतों के निवारण के संबंध में कुछ कमियाँ हैं। आईएफसी का कहना है कि वह एपीपीएल को एस्टेट्स के जोखिम मूल्यांकन को पूरा करने और PS4 केंद्रित SMP को लागू करने में सहायता प्रदान करने का इरादा रखता है। २०२५ के अंत में प्रबंधन और सुरक्षा गार्ड के लिए PS4 पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।</td><td></td><td>व्यवस्थाओं के बारे में कर्मचारियों और प्रभावित समुदाय को सूचित करना चाहिए, जब सुरक्षा की आवश्यकताएँ सर्वोपरि हों। सीएओ को दी गई शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि शायद ऐसा नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="4">स्थिति:खुला</td></tr>
<tr><td colspan="2">लागुकरण की रेटिंग:</td><td colspan="2">आंशिक रूप से लागू
आईएफसी ने रिपोर्ट की है कि उसने कंपनी की सुरक्षा योजना की समीक्षा की है और हाल ही में इस मामले पर उसने कंपनी को सहायता प्रदान की है, ताकि बागान सुरक्षा के प्रति उसके दृष्टिकोण को बेहतर बनाया जा सके। हालाँकि, यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि चाय श्रमिकों और प्रभावित समुदायों को अपनी राय देने का अवसर क्यों नहीं दिया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रभावशीलता रेटिंग:</td><td colspan="2">अभी मूल्यांकन योग्य नहीं
सीएओ को अद्यतन SMP और आईएफसी की सिफारिश की समीक्षा करने का अवसर नहीं मिला है। इसके अलावा, आईएफसी ने हाल ही में कंपनी प्रबंधन और सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान किया है, और सीएओ ने उसके परिणामों की समीक्षा अभी नहीं की है।</td></tr>
<tr><td colspan="4">सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #8
सितंबर २०१६
परियोजना से संबंधित आर्थिक विस्थापन के आक्षेपों पर आईएफसी की जांच के संबंध में सीएओ का निष्कर्ष:
आईएफसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि श्रमिकों की पूरक कृषि गतिविधियों के संभावित आर्थिक विस्थापन के संबंध में, क्लाइंट द्वारा प्रदर्शन मानक 5-भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास (PS5)—की आवश्यकताओं का उचित रूप से पालन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ
अक्टूबर २०१६</td><td>आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट
नवंबर २०२५</td><td>शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ
दिसंबर २०२५</td><td>सीएओ की टिप्पणियाँ
दिसंबर २०२५</td></tr>
</table>

2016 की कार्य योजना की प्रतिबद्धताओं का सारांश, जिसमें निम्न शामिल हैं: • मत्स्य पालन कार्यक्रम से प्रभावित श्रमिकों को रोज़गार दिया जाएगा, या उन्हें सभी अतिरिक्त लाभों के साथ स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा, या फिर उन्हें गैर-चाय कृषि की गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी पर रोज़गार दिया जाएगा।	मत्स्य पालन परियोजना के कारण विस्थापित हुए कुल ३८ श्रमिकों को बागान में ही स्थायी रोज़गार दिया गया है। आईएफसी ने सीएओ को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि मत्स्य पालन परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को एपीपीएल द्वारा किस प्रकार रोज़गार दिया गया है।	शिकायतकर्ताओं को आईएफसी के २०२४ के इस दावे की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है कि मत्स्य पालन परियोजना के कारण विस्थापित हुए कुल ३८ श्रमिकों को एस्टेट में स्थायी रोज़गार दिया गया था।	आईएफसी द्वारा सीएओ को ऐसे दस्तावेज़ भी उपलब्ध कराए गए है जिनसे यह साबित होता है कि मत्स्य पालन कार्यक्रम के कारण विस्थापित हुए ३८ श्रमिकों को एपीपीएल द्वारा रोज़गार दिया गया है। इसके अलावा, इस मुद्दे पर २०१७ में किए गए तीसरे पक्ष के ऑडिट में भी यह दर्ज किया गया था कि प्रभावित श्रमिकों को स्थायी रोज़गार दिया गया था।

स्थिति:बंद	
लागुकरण की रेटिंग:	लागू किया गया है। आईएफसी द्वारा सीएओ को दिए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मछली पालन कार्यक्रम से प्रभावित ३८ श्रमिकों कंपनी के ही कर्मचारी थे।
प्रभावशीलता रेटिंग:	प्रभावी है। चूँकि प्रभावित श्रमिकों को स्थायी रोज़गार दे दिया गया है, इसलिए मछली पालन कार्यक्रम का प्रभावित व्यक्तियों पर पड़ने वाला असर कम हो गया है।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #9

सितंबर २०१६

परियोजना पर प्रदर्शन मानक ७ (आदिवासी लोग) के लागू होने की आईएफसी द्वारा निगरानी के संबंध में सीएओ का निष्कर्ष:

सीएओ का निष्कर्ष है कि आईएफसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि है कि इस निवेश पर परियोजना पर प्रदर्शन मानक ७ को ठीक से लागू किया गया था।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
आईएफसी ने बताया कि PS7 लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट वाले इलाके में रहने वाली आबादी की ज़मीन, पुश्तैनी इलाकों या कुदरती	२०१६ की ते की गई कार्ययोजना में कोई खास कदम नहीं उठाया गया। PS7 इस प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होता। भले ही यहाँ काम करने	शिकायत करने वालों का कहना है कि PS7 इस प्रोजेक्ट पर लागू होता है। मार्गदर्शक नोट ७ में कहा गया है कि इस	PS7 को लागू करने पर विचार करते समय, आईएफसी यह सलाह देता है कि यह काम जातीय और

संसाधनों पर कोई ऐसी पूर्व निर्भरता नहीं है, जो चाय उद्योग से पहले की हो और/या जिस पर इस प्रोजेक्ट का कोई असर पड़ा हो।	वाले लोग मध्य भारत के आदिवासी समुदायों से आते हैं, लेकिन वे यहाँ श्रमिकों के तौर पर आए थे और इस इलाके के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए उन पर PS7 लागू नहीं होता। यह बात PS7 के पैरा ६ के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि PS7 को लागू करने के लिए, प्रोजेक्ट वाले इलाके की ज़मीन और कुदरती संसाधनों के साथ लोगों का कोई सामूहिक जुड़ाव होना ज़रूरी है। आईएफसी इस बात की भी पुष्टि करता है कि वह इस मामले में आगे कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है।	मानक में "आदिवासी समुदायों के वे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाली ज़मीनों पर रहते हैं"।	सहभागी तरीकों से काबिल समाजशास्त्रियों के संयोजन का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए। हालाँकि आईएफसी ने कहा है कि PS7 लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई सही तर्क या विश्लेषण नहीं दिया है (जैसा कि PS7 में उम्मीद की जाती है)।

स्थिति:खुला	
लागुकरण की रेटिंग:	लागू नहीं किया गया है। आईएफसी ने इस अनुपालन खोज के संबंध में न तो कोई कार्रवाई की है और न ही कोई कार्रवाई प्रस्तावित की है, क्योंकि आईएफसी, सीएओ की इस अनुपालन खोज से सहमत नहीं है।
प्रभावशीलता रेटिंग:	प्रभावी नहीं है। आईएफसी द्वारा इस अनुपालन खोज के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तदनुसार, सबूतों से पता चलता है कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #10

सितंबर २०१६

शेयर प्रोग्राम के संबंध में परामर्श और जानकारी देने की प्रक्रिया पर आईएफसी की निगरानी के बारे में सीएओ के निष्कर्ष:

यह देखते हुए कि: (अ) प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर श्रमिकों का शेयर प्रोग्राम में हिस्सा लेना ज़रूरी था; (ब) शेयर खरीदने में जोखिम होता है; और (क) चाय बागान के श्रमिक एक वंचित और कमज़ोर तबका हैं, सीएओ ने पाया कि:

- आईएफसी की निगरानी के पास इस नतीजे पर पहुँचने का कोई आधार नहीं था कि क्लाइंट ने इस प्रोग्राम के संदर्भ में श्रमिकों के साथ असरदार परामर्श की अपनी शर्तें पूरी कर ली हैं।

- आईएफसी खुद को इस बात पर आश्वस्त नहीं कर पाई है कि शिकायत करने वालों द्वारा परामर्श की कमी के बारे में लगाए गए खास आक्षेपों पर ध्यान दिया गया है।			
आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
2016 की कार्ययोजना की प्रतिबद्धताओं का सारांश: कर्मचारियों के शेयर स्वामित्व कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, शेयर कार्यक्रम की प्रक्रियाओं और तरीकों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए कदम।	आईएफसी ने इस बात की पुष्टि की है कि एपीपीएल ने कई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए हैं। आईएफसी ने पाया है कि आम तौर पर ESOP (कर्मचारी शेयर स्वामित्व कार्यक्रम) धारकों के लिए वित्तीय परिणाम अच्छे रहे हैं। कंपनी से अलग होने पर ESOP धारकों को बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिला है – २९.४% (वित्तीय वर्ष १८ में), २०.५% (वित्तीय वर्ष १९), १६.८% (वित्तीय वर्ष २०) और ११.६% (वित्तीय वर्ष २१)। इसके अलावा, २०२१ में, एपीपीएल ने एक स्वैच्छिक शेयर बायबैक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें उस समय के ६५% ESOP धारकों ने भाग लिया था, अपने शेयर बायबैक में जमा किए और १२.८५% का रिटर्न कमाया। हालांकि बाहर निकलने का विकल्प केवल कंपनी छोड़ने पर ही उपलब्ध होता है, एपीपीएल ने संकेत दिया है कि यदि शेष शेयरधारक कर्मचारी सहमत होते हैं, तो वे बाद के चरण में एक और स्वैच्छिक निकास कार्यक्रम चला सकते हैं, और यह संभवतः पिछले स्वैच्छिक बायबैक कार्यक्रम जैसा ही होगा। निकास प्रस्ताव, बायबैक और उससे मिले रिटर्न के बारे में वित्तीय शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, कार्यक्रम शुरू होने से पहले और	शिकायतकर्ताओं को शेयर निकास कार्यक्रम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। निकास प्रस्ताव में शेयरों का मूल्यांकन जिस आधार पर किया गया था, उसकी व्याख्या भी नहीं की गई है। शिकायतकर्ताओं ने उन कर्मचारियों से बात की, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शेयरधारक कार्यक्रम के बारे में कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।	आईएफसी के जांच एवं पर्यवेक्षण दस्तावेज़ों में यह दर्ज है कि अधिकांश चाय बागान के कर्मचारियों ने अपनी शेयरधारिता बेच दी है। कंपनी ने दावा किया कि उसने उन लोगों को प्रशिक्षण और सहायता दी, जिन्होंने बाहर निकलने के इस अवसर का लाभ उठाया। किसी कर्मचारी द्वारा उस कंपनी के शेयर खरीदने का फ़ैसला, जिसमें वह काम करता है (और जो किसी पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है), एक शेयरहोल्डर के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ, और शेयरहोल्डिंग से बाहर निकलने का फ़ैसला—इन सबके लिए निवेशक के तौर पर एक खास स्तर की विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। इस संदर्भ में, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में ऐसा ही कोई लेन-देन करने वाले किसी व्यक्ति को, कानून के अनुसार, एक 'उपयुक्तता परीक्षण' पास करनी पड़ सकती है। इस तरह के परीक्षण का तर्क यह है कि यह माना जाता है कि कुछ खास वित्तीय साधनों में, बिना पर्याप्त जानकारी और/या अनुभव के निवेश

<table>
<tr><td></td><td>बाद में, दोनों समय Employee Engagement Councils (EECs) और Estate Welfare Officers के माध्यम से कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए। EECs में यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और यूनियन भी वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण में शामिल होती हैं। अधिकांश शेयरधारक कर्मचारी सहमत थे और बायबैक प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक थे, सिवाय कुछ बागानों के कर्मचारियों (~५,००० कर्मचारी) के, जिन्होंने निवेशित रहने की इच्छा व्यक्त की और शेयर निकास कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।
कंपनी के साथ मिलकर एक अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी और उसे लागू किया जाएगा, ताकि शेष कर्मचारियों में ESOP और आवश्यकतानुसार अन्य जानकारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना जारी रखा जा सके।</td><td></td><td>करने से नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है।
असम में चाय बागान के मज़दूरों की शिक्षा के सामान्य स्तर के संदर्भ में, २०२४ की CAG रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि चाय बागान के श्रमिक समुदायों में शिक्षा का स्तर बेहद कम पाया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="4">स्थिति:खुला</td></tr>
<tr><td colspan="2">लागुकरण की रेटिंग:</td><td colspan="2">आंशिक रूप से लागू किया गया है।
आईएफसी ने रिपोर्ट दी है कि कंपनी ने कई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालाँकि, आईएफसी की निगरानी में इस बात का विस्तार से ज़िक्र नहीं है कि क्या ये कार्यक्रम सभी शेयरधारक कर्मचारी को नियमित अंतराल पर उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रभावशीलता रेटिंग:</td><td colspan="2">प्रभावी नहीं है।
चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक समुदायों में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत कम पाया गया है। जिस कंपनी में कोई</td></tr>
</table>

	व्यक्ति काम करता है, उसका शेयर खरीदने और रखने का सोच-समझकर फ़ैसला लेने के लिए निवेशक के तौर पर एक खास स्तर की विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। सीएओ को उपलब्ध दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि नहीं करते कि शेयरधारक कर्मचारी को नियमित अंतराल पर पर्याप्त वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय शिक्षक द्वारा सीधे सत्रों में प्रशिक्षण और जानकारी देने के बजाय वह अगर कर्मचारी जुड़ाव परिषदों (EECs) और एस्टेट कल्याण अधिकारियों के ज़रिए पहुँचाया जाता है तो समझने और खुलकर सवाल पूछने में वह एक संभावित बाधा बन सकता है; खासकर उन जगहों पर जहाँ साक्षरता का स्तर कम है, और जब तक कि ये मध्यस्थ संस्थान जटिल वित्तीय जानकारी को आसान तरीकों से समझाने के लिए विशेष रूप से तैयार न हों।

सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #11

सितंबर २०१६

परामर्श और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं की आईएफसी द्वारा निगरानी के संबंध में सीएओ का निष्कर्ष:

आईएफसी इस बात की संतोषजनक पुष्टि नहीं कर पाई है कि परियोजना के संबंध में 'प्रदर्शन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों तथा प्रभावों का आकलन और प्रबंधन' (PS1) के परामर्श और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं का उचित रूप से पालन किया गया है। विशेष रूप से, आईएफसी ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि क्लाइंट द्वारा किए गए आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन का दस्तावेज़, कार्य योजनाएँ और निगरानी रिपोर्टें इस प्रकार से सार्वजनिक की जाएँ, जो श्रमिकों के लिए सुलभ हों। इसी तरह, आईएफसी ने इस बात का भी संतोषजनक आश्वासन नहीं कर पाया है कि प्रमुख E&S आकलन प्रक्रियाएँ और कार्य योजनाएँ श्रमिकों के साथ प्रभावी परामर्श के बाद तैयार की गई थीं।

आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
2016 की कार्ययोजना की प्रतिबद्धताओं का सारांश: • कार्ययोजना २०१६ को सार्वजनिक करने और प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर कर्मचारियों से राय लेने की प्रतिबद्धता।	आईएफसी की रिपोर्ट है कि उसने हाल ही में कंपनी के कम्युनिटी वेलफ़ेयर अधिकारियों और EECs के साथ मिलकर प्रशिक्षण पूरा किया है, ताकि हितधारकों का	आईएफसी और एपीपीएल द्वारा कार्ययोजना पर कर्मचारियों के साथ बहुत कम परामर्श किया गया है। २०१४ और २०१७ की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्टें	सीएओ की २०१९ की निगरानी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि आईएफसी ने खुद को पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं किया था कि कंपनी ने

<table>
<tr><td></td><td>आकलन, जुड़ाव, कार्यान्वयन और उनके स्टेकहोल्डर जुड़ाव और शिकायत निवारण तंत्र के प्रबंधन की क्षमता में सुधार किया जा सके। आईएफसी आने वाले महीनों में मौजूदा सुविधाकर्ताओं के माध्यम से चल रही कार्रवाइयों के बारे में जानकारी देना जारी रखेगा।</td><td>(सार्वजनिक सारांशों के विपरीत) अभी तक शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
ऊपर की गई चर्चा अनुसार, शिकायतकर्ता आईएफसी के साथ एक खास संवाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ताकि आवास की उन खतरनाक स्थितियों को संबोधित किया जा सके, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के खराब स्वास्थ्य परिणामों का कारक बन रही हैं। हालाँकि शिकायतकर्ताओं ने आमने-सामने बातचीत का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत आयोजित नहीं की गई है।</td><td>पिछले E&S मूल्यांकन दस्तावेज़ों, कार्ययोजना और निगरानी रिपोर्ट को इस तरह से सार्वजनिक किया है जो कर्मचारियों के लिए सुलभ हो। आईएफसी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया था कि कंपनी ने कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी हो और कर्मचारियों से परामर्श किया हो। इसके अलावा, आईएफसी ने खुद को इस बात से आश्वस्त नहीं किया था कि कंपनी कार्ययोजना के कार्यान्वयन और सामान्य कार्यों के बारे में कर्मचारियों और अन्य प्रभावित समुदायों को लगातार अपडेट कर रही है।
इस गैर-अनुपालन निष्कर्ष के संबंध में सीएओ को आईएफसी का २०२५ का अपडेट, और आईएफसी के जांच एवं पर्यवेक्षण दस्तावेज़ों की समीक्षा, यह संकेत नहीं देती है कि इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">स्थिति:खुला</td></tr>
<tr><td colspan="2">लागुकरण की रेटिंग:</td><td colspan="2">लागू नहीं किया गया है।
आईएफसी के कार्यों में यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि ज़रूरी E&S मूल्यांकन दस्तावेज़ों, कार्य योजनाओं और निगरानी रिपोर्टों का पर्याप्त खुलासा इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि वे कंपनी के २५ बागानों में काम करने वाले श्रमिकों तक आसानी से पहुँच सकें।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रभावशीलता रेटिंग:</td><td colspan="2">प्रभावी नहीं है।</td></tr>
</table>

		PS1 के अनुरूप प्रासंगिक E&S मूल्यांकन दस्तावेज़ और कार्य योजनाओं का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप, चाय बागान के श्रमिकों और अन्य प्रभावित लोगों को कंपनी के संचालन और कार्यों से जुड़े संभावित E&S जोखिमों और प्रभावों के बारे में, और इन जोखिमों और प्रभावों से निपटने के लिए कंपनी द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है।	
सीएओ की नॉन-कंप्लायंस (गैर–अनुपालन) खोज #12 **सितंबर २०१६**			
आईएफसी की प्रतिक्रिया और/या प्रतिक्रिया स्वरूप की गई प्रतिबद्धताएँ अक्टूबर २०१६	आईएफसी द्वारा कार्यान्वयन की रिपोर्ट नवंबर २०२५	शिकायतकर्ताओं की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५	सीएओ की टिप्पणियाँ दिसंबर २०२५
सीएओ मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बाद आईएफसी की २०१९ की प्रतिबद्धता: आईएफसी असम के चाय क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक ज़्यादा सातत्यतापूर्ण रास्ता खोजने के लिए, पूरे क्षेत्र के अध्ययन के संदर्भ में सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है।	आईएफसी की रिपोर्ट है कि उसने आगे कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हितधारकों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था।	"अपर्याप्त समर्थन" का कारण भी नहीं बताया गया है।	सीएओ की जाँच रिपोर्ट (२०१६), आईएफसी का प्रबंधन जवाब (२०१६), और आईएफसी प्रबंधन अपडेट (२०१९) में यह बताया गया है कि इस मामले में कई विषयों में पुरानी समस्याएँ हैं, जो भारत के चाय क्षेत्र में पहले से ही मौजूद हैं। शिकायतकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने सीएओ को बताया है कि "अपर्याप्त समर्थन" के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चूँकि यह स्वीकार किया गया है कि इस मामले में दशकों से कई मुद्दे चाय क्षेत्र में मौजूद हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र के अध्ययन पर संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने की आईएफसी की २०१९ की प्रतिबद्धता पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रतिबद्धता पर पूरे विश्व बैंक समूह की ओर से

			एक जवाब मिलना ज़रूरी है। इस कार्रवाई को लागू करने में काफ़ी देर हो चुकी है।
स्थिति:खुला			
लागुकरण की रेटिंग:		लागू नहीं किया गया है। आईएफसी की रिपोर्ट यह है कि उसने हितधारकों से पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण इस प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया है।	
प्रभावशीलता रेटिंग:		प्रभावी नहीं है। आईएफसी की रिपोर्ट है कि उसने हितधारकों से पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण इस प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया है। तदनुसार, साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि असम के चाय क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में अधिक सातत्यतापूर्ण मार्ग की पहचान करने का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।	

परिशिष्ट-ब. सीएओ रेटिंग पद्धति का सारांश:

किसी गैर-अनुपालन निष्कर्ष और उससे जुड़े नुकसान के उत्तर में प्रत्येक आईएफसी/एमआईजीए कार्रवाई की समीक्षा करने पर, या सीएओ की नीति के मामलों में पुनरावर्तन को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों की, या सीएओ परिचालन के दिशानिर्देश के मामलों में गैर-अनुपालन निष्कर्ष को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने पर, सीएओ अपनी अनुपालन निगरानी रिपोर्ट में रेटिंग देता है। पिछली समग्र निगरानी रिपोर्ट (मई २०२३, मई २०२४, और अप्रैल २०२५) में, सीएओ ने एक एकल पाँच-बिंदु पैमाने ("अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, उत्कृष्ट, संतोषजनक, आंशिक रूप से असंतोषकारक, असंतोषकारक") का उपयोग किया था, जो कार्रवाई के पूरा होने और उस हद तक, जिस हद तक उसने संबंधित गैर-अनुपालन निष्कर्ष और उससे जुड़े नुकसान को संबोधित किया था, उसके संयुक्त निर्णय को दर्शाता था।

हालांकि इस दृष्टिकोण ने एक समग्र मूल्यांकन प्रदान किया, लेकिन सीएओ के खुद के अनुभव और हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया ने इसके लागूकरण में चुनौतियों का खुलासा किया। कई मामलों में, आईएफसी/एमआईजीए ने एक प्रतिबद्ध MAP कार्रवाई को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, और कार्यक्षेत्र, मानक और समय के मामले में अपने दायित्वों को पूरा किया था, लेकिन उस कार्रवाई ने अंतर्निहित नुकसान को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया या गैर-अनुपालन निष्कर्ष की पुनरावृत्ति को नहीं रोक सकी। ऐसे मामलों में, संयुक्त पैमाना अनजाने में इस अंतर को अस्पष्ट कर सकता था, जिससे संभावित रूप से आईएफसी/एमआईजीए के लागूकरण के प्रयासों को कम आंका जा सकता था या लागूकरण और प्रभावशीलता के बीच सहसंबंध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता था।

इन चुनौतियों को संबोधित करने और सीएओ नीति के अनुच्छेद १४० और १४१ के साथ अधिक संरेखित होने के लिए, सीएओ ने अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया है।[१]

संशोधित पद्धति के तहत, इस रिपोर्ट से शुरू करते हुए, सीएओ आईएफसी/एमआईजीए की कार्रवाइयों को दो आयामों पर अलग-अलग रेट करता है:

१. कार्यान्वयन (आउटपुट): क्या कार्रवाई MAP में निर्दिष्ट अनुसार, उसके कार्यक्षेत्र, मानक, स्थान और समय के अनुरूप पूरी की गई थी?

२. प्रभावशीलता (परिणाम): क्या लागू की गई कार्रवाई ने MAP कार्रवाई से जुड़े संबंधित गैर-अनुपालन/संबंधित नुकसान को ठीक करने या उसे काफी हद तक कम करने और/या पुनरावृत्ति से बचने, और संस्थागत प्रदर्शन में सुधार करने (प्रणालीगत सिफारिशों के लिए) में अपना इच्छित परिणाम प्राप्त किया?

यह दोहरे पैमाने वाली प्रणाली सीएओ को आईएफसी/एमआईजीए की निगरानी प्रक्रिया का अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। यह इस बात को स्वीकार करता है

कि लागूकरण, सहमत कार्रवाई को पूरा करने पर आईएफसी/एमआईजीए के नियंत्रण को दर्शाता है; जबकि कुछ मामलों में प्रभावशीलता, आईएफसी/एमआईजीए के सीधे नियंत्रण से बाहर के कारकों—जैसे कि प्रोजेक्ट की बाहरी स्थितियों—से प्रभावित हो सकती है। इस तरह, संशोधित रेटिंग्स हितधारकों को यह देखने में सक्षम बनाती हैं कि कितना प्रयास किया गया और क्या परिणाम हासिल हुआ है और वह भी, इन दोनों को आपस में मिलाए बिना।

नीचे दी गई तालिका में, गैर-अनुपालन से संबंधित निष्कर्षों और उनसे होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए आईएफसी/एमआईजीए द्वारा की गई कार्रवाइयों का लागूकरण और प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु सीएओ के संशोधित रेटिंग आयाम, पैमाने और परिभाषाएँ दी गई हैं।

---

१ अनुच्छेद १४० यह स्पष्ट करता है कि सीएओ की अनुपालन निगरानी का दायरा, MAP के हिस्से के रूप में अनुमोदित सुधारात्मक कार्य होंगे, और यह निगरानी MAP में निर्धारित कार्यों के प्रभावी लागूकरण को सत्यापित करेगी। अनुच्छेद १४१ आगे यह स्पष्ट करता है कि सीएओ की अनुपालन निगरानी उन गैर-अनुपालन निष्कर्षों पर विचार नहीं करेगी, जिनके लिए MAP में कोई संबंधित सुधारात्मक कार्य मौजूद नहीं है।

यह सीएओ के नीति मामलों के लिए है। सीएओ परिचालन दिशानिर्देश मामलों के लिए, यह गैर-अनुपालन निष्कर्ष को संबोधित करने हेतु आईएफसी/एमआईजीए के किसी कार्य की प्रभावशीलता से संबंधित है।

आयाम	रेटिंग पैमाना	परिभाषा
कार्यान्वयन (आउटपुट)	लागू किया गया	MAP (कार्यक्षेत्र, मानक, स्थान, समय) में बताए अनुसार की गई कार्रवाई
	आंशिक रूप से लागू किया गया	कार्रवाई शुरू कर दी गई है या काफी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई अहम पहलू ठीक से लागू नहीं हुआ है (कार्यक्षेत्र, मानक, या समय)
	लागू नहीं किया गया	कार्रवाई लागू नहीं की गई है (उम्मीद से काफी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी) या कार्रवाई का लागूकरण तय विनिर्देशों या मानकों से काफी अलग है
	अभी तक लागू नहीं किया गया	कार्रवाई अभी लागू होनी बाकी है, लेकिन भविष्य में इसके लागू होने की पूरी उम्मीद है।
प्रभावशीलता (परिणाम)	प्रभावी	सबूतों से पता चलता है कि कार्रवाई ने (अ) संबंधित गैर-अनुपालन/नुकसान को ठीक कर दिया है/काफी हद तक कम कर दिया है, या (ब) संबंधित गैर-अनुपालन की पुनरावृत्ति को रोकता है और संस्थागत प्रदर्शन में भी सुधार करता है।
	आंशिक रूप से प्रभावी	सबूतों से पता चलता है कि कार्रवाई ने आंशिक रूप से

		(अ) संबंधित गैर-अनुपालन/नुकसान को ठीक किया है/कम किया है (गैर-अनुपालन/नुकसान के अहम पहलू अभी भी मौजूद हैं) या (ब) संबंधित गैर-अनुपालन की पुनरावृत्ति को रोकता है और संस्थागत प्रदर्शन में भी सुधार करता है।
	प्रभावी नहीं	सबूतों से संकेत मिल सकता है कि (अ) कार्रवाई लागू होने के बावजूद या लागू न होने के कारण गैर-अनुपालन/नुकसान काफी हद तक कम नहीं हुआ है या (ब) कार्रवाई न तो संबंधित गैर-अनुपालन की पुनरावृत्ति को रोकती है और न ही संस्थागत प्रदर्शन में सुधार करती है।
	अभी तक मूल्यांकन योग्य नहीं	अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी या फिलहाल पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं।
	मूल्यांकन योग्य ही नहीं	लागूकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है और कार्रवाई की प्रकृति के कारण उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।